

07.07.2023

पत्रावली पेश हुई । वाद पुकारा गया। अभियुक्त मौ० अशरफ मय अधिवक्ता जितेन्द्र सिंह रावत उपस्थित। अभियुक्तगण युसुफ व युनूस उपस्थित नहीं। अभियुक्त की ओर से प्रार्थना प्रस्तुत कर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति प्रस्तुत की गयी। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में रखा जाय। पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश हेतु दिनांक 06.09.2023 को पेश हो।

अनीता गुंज्याल
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल।